Regarding correction in the spelling of ?DHANGAR? caste erroneously spelt as ?DHANGAD? in the official records-laid

श्री चंदन चौहान (बिजनौर) : राष्ट्रपति अध्यादेश 1950, 1956 एवं 1976 में गडरिया समुदाय की 'धनगर जाति 27 वे क्रमांक पर अंग्रेजी वर्तनी में DHANGAR एवं हिंदी में धनगर नाम से अंकित रही है । इसी संदर्भ में एससी, एसटी संशोधन बिल-1976 द्वारा हिंदी वर्तनी धनगर' को 'धंगड़ कर दिया गया है । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के हस्तक्षेप के बाद 15.11.2012 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने 'धनगर' जाति को ही मान्यता दी गयी । इसके पश्चात 15.09. 2017 में इसी आयोग ने पुनः इसे धगड़ कर दिया । जिससे फिर वहीं भम्र पुनः बन गया जबकि उत्तर प्रदेश में धनगर जाति ही निवास करती है ।

सर्वप्रथम काका कालेलकर आयोग ने सन 1956 में धनगर जाति को गडरिया जाति के रूप में अंकित कर दिया । जबकि वह पूर्व में 1950 में ही 'धनगर जाति' के रूप में अनुसूचित जाति की सूची में 27 वे क्रमांक पर अंकित हो चुकी थी । यही से लगातार भम्र की स्थिति बनी हुई है । सन 1956 की काका कालेलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग की जाति सूची में से गडरिया समुदाय जाति के रूप में त्रुटिवश अंकित है, उसे हटाया जाए । उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 16 जून 2025 को जारी पत्र में हिंदी वर्तनी में अंकित धंगड़ के स्थान पर पुनः 'धनगर' किया जाए ।

सन 1956 से इस जाति के जिन लोगो को त्रुटिवश पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए है उन सभी को अनुसूचित जाति ?धनगर? के प्रमाण पत्र निर्गत किये जायें जिससे उन्हें उनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सके ।